न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 118 / 2025

जीसीएमएस नं. : 2025 / 195

1. शकील मोहम्मद पुत्र मोहम्मद मुस्ताक निवासी वार्ड नं. 1, टिब्बा बस्ती, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. नसरीन पुत्री मोहम्मद मुस्ताक निवासी वार्ड नं. 1, टिब्बा बस्ती, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सलीम पुत्र मोहम्मद मुस्ताक नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अरसा बेगम पत्नी मोहम्मद मुस्ताक निवासी वार्ड नं. 1, टिब्बा बस्ती, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री शेराराम, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार
3. अनुपस्थित / एकपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 1

—:: आदेश ::—

दिनांक : 11/12/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक 2 जीएम खाता सं. 30 प.नं. 225 / 29 मु.नं. 31 कि. नं. 6,11 / 1,15,20 का 0.506है. कमाण्ड व प.नं. 225 / 36 मु.नं. 29 कि.नं. 11,12,20,21 का 0.860है. कमाण्ड व प.नं. 225 / 37 मु.नं. 30 कि.नं. 1 का 0.025है. कमाण्ड कुल 1.394है. कमाण्ड खातेदारी रकबा में मुश्तरका खाता में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक का 1 / 3 हिस्सा है। जो रकबा प्रार्थीगण को अपने पिता से जरिये विरास्तन प्राप्त हुआ है। जो प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में चला आ रहा है। उक्त रकबा का इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से एवं लिपिकीय त्रुटि से उक्त भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज नहीं होकर घरेलु नाम अंकित हो गया, जो प्रार्थी सं. 1 का नाम बबू दर्ज हो गया है जबकि सही नाम शकील मोहम्मद है एवं इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 का नाम काको दर्ज हो गया है जबकि उसका सही नाम नसरीन है। प्रार्थीगण जो कि छोटे थे जिसके कारण उन्हें पूर्व में इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनका नाम जमाबन्दी में गलत दर्ज चला आ रहा है। अब प्रार्थीगण को रास्व रिकार्ड में अपना का नाम गलत दर्ज हो जाने पता चलने पर प्रार्थीगण ने सम्बन्धित हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया और अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, स्कूल की अंकतालिका आदि व अन्य पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत कर भूमि की जमाबन्दी में उनका नाम सही दर्ज करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। प्रार्थीगण के पहचान के दस्तावेजों में सही नाम दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के नाम से दर्ज भूमि चक 2 जीएम की जमाबन्दी में सहवन से गलत दर्ज हुए नामों की दुरुस्ती करवाकर जमाबंदी में बबू के स्थान पर शकील मोहम्मद एवं काको के स्थान पर नसरीन दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:28 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 नाबालिग जरिए माता अरसा बेगम का शपथ पत्र प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश हुआ है। तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर अपने पत्रांक/भू.अ./2025/3436 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम विरास्तन नामान्तरकरण के समय से दर्ज होकर आदिनांक तक दर्ज चला आ रहा है। रकबा राजस्व रिकार्ड अनुसार स्थगन/विवाद दर्ज नहीं है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण की आयु कम होने से घरेलु नाम दर्ज हो गये है प्रार्थीगण जिसकी दुरूस्ती करवा अपने पहचान एवं शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीगण भूमि के खातेदार है, परन्तु नाम की अशुद्धि होने के कारण अपने खातेदारी अधिकारों की उपयोग उपभोग एवं राजकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। दुरूस्ती किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि विरास्तन नामान्तरण से आदिनांक तक प्रार्थीगण का नाम रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी प्रार्थीगण दुरूस्ती करवाना चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। नामान्तरकरण चक 2 जीएम सं. 144 जो कि दिनांक 05.03.2012 को स्वीकृत हुआ है जिसके द्वारा मोहम्मद मुश्ताक की मृत्यु उपरान्त भूमि विरासत में अरसा बेगम, बबू, सलीम, काको को प्राप्त हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छायाप्रतियां आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड में भूमि बबू एवं काको नाम से दर्ज है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवा शकील मोहम्मद व नसरीन दर्ज करवाना चाहते है। हालांकि प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, हस्तगत प्रार्थना पत्र एवं वकील प्रार्थी के कथनों के आधार न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुए प्रार्थीगण के सही नाम का अंकन रिकार्ड में किया जावे।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 2 जीएम खाता सं. 30 में दर्ज मु.नं. 31, 29 व 30 की कुल 1.394है. कमाण्ड भूमि के खातेदार के नाम क्रमशः काको व बबू के स्थान पर क्रमशः नसरीन व शकील मोहम्मद अंकित किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:35:28 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर